राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 766/2023

वासूदेव चारण —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, महिला बाल विकास, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग, राजस्थान, जयपुर। —प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर परियोजना कपासन, चित्तौडगढ़ में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परियोजना कपासन, चित्तौडगढ़ से परियोजना धनेउ, बाड़मेर किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कर्मचारी का पदस्थापन भी नहीं किया गया तथा लगभग आठ दिन पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परियोजना कपासन, चित्तौडगढ़ से परियोजना धनेउ, बाड़मेर स्थानान्तरणाधीन मानते हुए परियोजना नैनवा, बून्दी लगभग 450 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है और वह चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर्मचारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाल विकास परियोजना, राशमी, भदेसर, डूंगला, बडी सादडी, चित्तौडगढ़ सिटी, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण एवं बेगूं में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण नैनवा, बूंदी कर दिया गया। आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील संख्या

525/2023 जयंत जोशी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा का उद्धरण देकर प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य